24/12/24

डी.ओ. महोदय के अन्य राजकार्य में व्यस्त हो जाने से प्रकरण में कुछ कार्रवाई नही हो सकी। पूर्व आदेश को पालना होकर पत्रावली दिनांक 31-01-25 को पेश हो।

रीडर
जिला कलक्टर दौसा

31/01/2025

डी.ओ. महोदय के अन्य राजकार्य में व्यस्त हो जाने से प्रकरण में कुछ कार्रवाई नही हो सकी। पूर्व आदेश को पालना होकर पत्रावली दिनांक 14-02-2025 को पेश हो।

रीडर
जिला कलक्टर दौसा

14/02/2025

अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. सं. 01 से 05 उपस्थित। उभय पक्ष अधिवक्तागण ने बहस हेतु अवसर चाहा। अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10/03/2025 को पेश हो।

जिला कलेक्टर
दौसा

10/3/2025

अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट के प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों में आपसी समझौता होकर वादग्रस्त अपील व विभागीय अपील को समाप्त करने बाबत समझौता आगे नहीं चलाना चाहते है। अपील नोट प्रेस में खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 से 5 के अपील नोट प्रेस में खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अपील पत्रावली एवं प्रार्थना का अवलोकन किया। अपीलांट अपील को [illegible] चाहते है। अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की [illegible] है। अपील का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कमठे खुले न्यायालय सुनाया गया।

Devendra

जिला कलेक्टर
दौसा

Not Press

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:05:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रा.मु.जो.